तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज जगदीश विश्नोई बनाम लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी देचू) सू.अ.अ. अपील संख्या 237 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.21	अपीलार्थी जगदीश विश्नोई पुत्र ठाकरराम विश्नोई, पता खिलेरी कृषि फार्म, बाईपास रोड़,चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.09..20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत आपके क्षेत्राधिकार में किसानों को भूमि अवाप्ति अवार्ड राशि जिन जिन किसानों को दी गई मय नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर एवं अवार्ड राशि सहित प्रमाणित सूची व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी देचू) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। चूकि अपीलार्थी / प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी कार्यालय देचू से सूचना चाही गई जो कार्यालय अस्तित्व में नहीं है तहसीलदार देचू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भारतमाला प्रोजेक्ट योजना के तहत तहसील क्षेत्र देचू की आवंटित भूमि नहीं की गई है। अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश सुनाया गया।	